

जन सुचना अधिकारी तथा पुलीस उप अधिक्षक (मुख्या.)  
कार्यालय पुलीस अधिक्षक, रेल नागपूर  
वंजारी नगर पाणी टाकी के सामने, अजनी, नागपूर-27  
दु.क. 0712-2702104, फॅ.क. 0712-2702344  
ईमेल :- sprainagpur@gmail.com

क्रमांक:- पुअरेना/मा. अ.कक्ष/रेल/6302/2018

नागपूर, तारीख :- 28/6/18

TO,

**Shri, Shyam Sunder Gurjar,  
Vill & Post – Durjar Tehsil – Pirawa  
Pin No- 326513 Mo.No. 91- 8875101374  
(ssgurjar1984@gmail.com)**

संदर्भ :- Office of the Sr.Divl. Security Commissioner Railway Protection Force / Mumbai  
Central NO. BFE / RTIA / 2005/18/2018 dt.28-06-18 अनुसार.  
(इस कार्यालया को दिनांक 27.06.18 को प्राप्त हुआ।)

विषय:- जन सुचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत माहिती मिलने हेतु।

-000-

उपरोक्त संदर्भीय विषय के अनुसार सुचित किया जाता है की, आपका तारीख 14.05.2018 का जन सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विषय का अर्ज उपरोक्त संदर्भ के नुसार इस कार्यालय को दि. 27.06.18 को प्राप्त हुआ। उक्त आपके आवेदन के अनुसार मुद्यनिहाय सूचना निचे दी गई है।


01. About all death by train accident between May 2013 to December 2013.

**- 322 Person are dead by train accident between May 2013 to December 2013**


02. Also those person whose had physial handicapped by two hand and blood group have A positive. Wear T shirt, sleeper etc.Age almost 24 years.

**-Nil.**

उक्त निर्णय के खिलाफ आप अगर व्यथित होते है तो सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कलम 19(1) के तरतुद नुसार 30 दिन के भितर प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा अपर पुलीस अधिक्षक, रेल नागपूर इनको अपील अर्ज कर सकते है।

  
(र.म.जी. इनामदार)

जन सुचना अधिकारी तथा  
पुलीस उप अधिक्षक (मुख्या.)  
रेल, नागपूर

  
28-6-18